न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 209 / 2023

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. बनवारीलाल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. विनोद कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. उर्मिला पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. विमला पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. सरला पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 26.09.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 805/58 की कुल 5.1660 हैक्ट भूमि में से 4913/5166 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि के पूर्व मे वादी के दादा सहीराम पुत्र हुणताराम खातेदार काश्तकार थे उनकी फौतदगी के बाद प्रतिवादी स0 1 के नाम उपरोक्त कृषि भूमि दर्ज हुई। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है यानि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। इसलिए वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 5 प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा वादी अपना हक हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रतिवादीया स0 3 ता 5 जो की वादी एवं प्रतिवादी स0 1 की बहिन व माता है एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है उपरोक्त भूमि मे कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह वादी [illegible] के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग रोही मौजा सोनड़ी [illegible] 5.1660 हैक्ट भूमि में से 4913/5166 हिस्सा भूमि प्रतिवादी [illegible] है में प्रतिवादी स0 [illegible] नाम कलमजन करवाकर वादी को 2.2035 हैक्ट एवं प्रतिवादी स0 2 2.7095 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी स0 1 के नाम रोही मौजा सोनड़ी एवं चक राजासर में अन्य कृषि भूमि दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:51:02 IST
Reason: SelfAttested

जिसको वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल देहडू ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 द्वारा स्वीकार किया जाकर जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। प्रतिवादी स0 1 के अन्य कृषि भूमि दर्ज है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 805/58 की कुल 5.1660 हैक्ट भूमि में से 4913/5166 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया स0 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादी स0 1 ने अन्य कृषि भूमि होना स्वीकार किया है। प्रतिवादी सं0 1 के नाम उपरोक्त वाद भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि स्थित है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:51:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति [illegible] द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 805/58 की कुल 5.1660 हैक्ट भूमि में से 4913/5166 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर 2.2035 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया

जाता है तथा शेष 2.7095 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 26/9/28 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:51:02 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 209/2023
अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. बनवारीलाल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. विनोद कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. उर्मिला पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. विमला पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. सरला पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 209 सन 2023 निर्णय दिनांक 26.09.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 805/58 की कुल 5.1660 हैक्ट भूमि में से 4913/5166 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर 2.2035 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 2.7095 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 26/9/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:51:02 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर